भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2556

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए निधि

2556 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020-21 और 2021-22 से आज की तारीख तक देश में न्यायिक अवसंरचना के स्तरोन्नयन/ प्रावधान के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधि साथ ही जिन शीर्षों के अंतर्गत निधि का उपयोग किया गया है का वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या देश में न्यायिक अवसंरचना विकसित देशों के समान है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या देश में न्यायिक अवसंरचना में कमी भारतीय न्यायालयों में मामलों के बड़ी संख्या में लंबित होने का मुख्य कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । राज्य सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि करने के लिए संघ सरकार, केन्द्र और राज्यों के मध्य विहित निधि साझा पेटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इसमे जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं का निर्माण समाविष्ट है । इस स्कीम के प्रारंभ से आज तक 8758.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं, जिसमें से 5314.40 करोड़ रू (60.68%) वर्ष 2014-15 से जारी किए गए हैं । यह स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा।

न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी समाविष्ट होगा। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान आबंटित निधियों के राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम के अधीन वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान जारी और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे **उपाबंध-2** पर हैं । विकसित देशों के साथ न्यायिक अवसंरचना का तुलनात्मक निर्धारण व्यक्तिपरक और विकसित हो रहा है क्योंकि न्यायालय परिसरों में विद्यमान सुविधाओं में सुधार और उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । ऐसे कई कारक है जिनसे मामलों के निपटान में विलंब होता हैं । इनमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, खोज और एकत्रण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है । केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्णत: समर्पित है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

****

उपाबंध-1

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2556 जिसका उत्तर तारीख 24.03.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**बजट प्राक्कलन 2020-21 के संदर्भ में अनंतिम आवंटन (करोड़ रुपये में)**	**आर ई चरण में उपलब्ध कराए गए बजट के संबंध में यथानुपात आधार पर 2020-21 के लिए संशोधित आवंटन**	**बजट प्राक्कलन 2020-21 के संदर्भ में अनंतिम आवंटन (करोड़ रुपये में)**	**आरई चरण में उपलब्ध कराए गए बजट के संबंध में यथानुपात आधार पर 2021-22 के लिए संशोधित आवंटन**
1.	आंध्र प्रदेश	12.85	9.87	16.60	16.45
2.	तेलंगाना	16.40	12.59	15.51	15.37
3.	बिहार	67.15	51.56	51.74	51.28
4.	छत्तीसगढ	7.84	6.02	11.58	11.48
5.	गोवा	3.80	2.92	3.75	3.72
6.	गुजरात	15.49	11.89	13.96	13.84
7.	हरियाणा	25.03	19.22	24.27	24.06
8.	हिमाचल प्रदेश	5.50	4.22	6.07	6.02
9.	झारखंड	9.66	7.42	7.84	7.77
10.	कर्नाटक	35.38	27.17	31.69	31.41
11.	केरल	17.11	13.14	19.22	19.05
12.	मध्य प्रदेश	56.23	43.18	64.51	63.94
13.	महाराष्ट्र	28.29	21.72	21.20	21.01
14.	ओडिशा	32.65	25.07	27.93	27.68
15.	पंजाब	18.46	14.17	19.18	19.01
16.	राजस्थान	39.30	30.18	49.04	48.61
17.	तमिलनाडु	34.80	26.72	35.66	35.35
18.	उत्तर प्रदेश	146.20	112.26	139.90	138.67
19.	उत्तराखंड	9.39	7.21	41.44	41.08
20.	पश्चिमी बंगाल	40.47	31.07	30.63	30.36
	कुल	**622.00**	**477.60**	**631.72**	**626.16**
उत्तर पूर्वी राज्य					
1	अरुणाचल प्रदेश	5.66	4.49	5.97	5.97
2	असम	30.20	23.93	32.02	32.02
3	मणिपुर	7.12	5.64	8.12	8.12
4	मेघालय	12.85	10.18	13.07	13.07

5	मिजोरम	5.32	4.22	5.25	5.25
6	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
7	सिक्किम	5.94	4.71	3.52	3.52
8	त्रिपुरा	12.91	10.23	14.33	14.33
	कुल	**80.00**	**63.40**	**82.28**	82.28

विधानमंडल के बिना संघ-राज्यक्षेत्र					
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**
2	चंडीगढ़				
3	दादरा और नागर हवेली				
4	दमण और दीव				
5	लक्षद्वीप				
6	लद्दाख				

विधानमंडल के साथ संघ-राज्यक्षेत्र					
1	दिल्ली	**50.00**	**50.00**	**60.00**	**60.00**
2	पुडुचेरी				
3	जम्मू - कश्मीर				
	कुल योग	**754.00**	**593.00**	**776.00**	**770.44**

नोट: उपरोक्त आवंटन अनंतिम है और वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले प्रदान किए गए बजट प्राक्कलन पर आधारित है। वास्तविक रुप से जारी आर ई चरण में अंतिम आवंटन और स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति से संबंधित है।

उपाबंध-2

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2556 जिसका उत्तर तारीख 24.03.2022 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण।

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जारी निधि 2020-21	उपयोग की गई निधि 2020-21	2021-22 जारी निधि (आज की तारीख तक)	2021-22 उपयोग की गई निधि (आज की तारीख तक)
1	आंध्र प्रदेश	1028.00	746.00	0.00	0.00
2	बिहार	6572.00	0.00	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ	784.00	0.00	0.00	0.00
4	गोवा	380.00	380.00	320.00	320.00
5	गुजरात	1350.40	0.00	0.00	0.00
6	हरियाणा	2200.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	550.00	0.00	0.00	0.00
8	झारखंड	905.00	905.00	600.00	0.00
9	कर्नाटक	2972.00	0.00	2700.00	0.00
10	केरल	1300.00	1300.00	0.00	0.00
11	मध्य प्रदेश	4560.00	0.00	5500.00	0.00
12	महाराष्ट्र	2311.00	2311.00	1800.00	1557.50
13	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
14	पंजाब	1647.60	1647.60	1650.00	1650.00
15	राजस्थान	2990.00	1320.64	4150.00	0.00
16	तमिलनाडु	1817.00	1817.00	3566.00	0.00
17	तेलंगाना	1600.00	1400.00	0.00	0.00
18	उत्तराखंड	586.00	0.00	0.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	11100.00	11100.00	11900.00	11850.00
20	पश्चिमी बंगाल	3107.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर पूर्वी राज्य				
1	अरुणाचल प्रदेश	500.00	377.58	409.00	93.14
2	असम	2500.00	2500.00	2740.00	0.00
3	मणिपुर	500.00	268.09	0.00	0.00
4	मेघालय	771.00	771.00	1150.00	1150.00
5	मिजोरम	500.00	500.00	450.00	0.00
6	नागालैंड	500.00	500.00	1327.00	0.00
7	सिक्किम	295.00	0.00	0.00	0.00
8	त्रिपुरा	774.00	0.00	0.00	0.00
	संघ-राज्यक्षेत्र				
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	35.36	35.36	83.76	0.00
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
3	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	4500.00	4500.00	3000.00	1464.00
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
7	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
8	जम्मू - कश्मीर	664.64	487.49	2000.00	0.00
9	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00

****